


18-12-25

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी या प्रार्थी
संघ उपस्थित नहीं। बार-बार आवाज लगाने पर
भी उपस्थित नहीं हुए। अतः प्रार्थी का यह आग्रह
असम पेशी - असम हाजिरी में इसी स्तर पर खारिज
किया जाता है। पत्रावली बड़ तरीक़े तकमील
देकर दायिगल दफ्तर हो।

निर्णय लिखा जाकर बुले न्यायालय में
दुनाया गया।


(प्रिया बजाज)
RAS.